जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
42/2017 A3/1

विविध बैंक प्र0सं0 42/2017 यूको बैंक, शाखा हिरनांवाली (रीको) तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–श्रीगंगानगर गम एण्ड केमिकल प्राईवेट लि0 डायरेक्टर श्रीमदन लाल सिंघल पुत्र श्री गंगाजलदास सिंघल, बी 359बी, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, फेज–द्वितीय, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर।

जमानतदार 1–मदनलाल सिंघल पुत्र श्री गंगाजल दास सिंघल 2–सोनू सिंघल पुत्र श्री मदनलाल सिंघल 3–अनिल कुमार सिंघल पुत्र श्री मदनलाल सिंघल 4–श्रीमति अनिता सिंघल पत्नि श्री भंवरलाल सिंघल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11–07–2017

प्रार्थी यूको बैंक के अभिभाषक श्री मनीष कुमार भारद्वाज उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी यूको बैंक के अभिभाषक का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी श्रीगंगानगर गम एण्ड केमिकल प्राईवेट लि0 डायरेक्टर श्रीमदन लाल सिंघल पुत्र श्री गंगाजलदास सिंघल, बी 359बी, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, फेज–द्वितीय, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में सी.सी. लिमिट के रूप में 2,00,00,000/–रूपये (अखरे रूपये दौ करोड़) एवं टर्म लोन के रूप में 1,50,00,000/–रूपये (अखरे रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) कुल 3,50,00,000/–रूपये (अखरे तीन करोड़ पचास लाख मात्र) ऋण दिनांक 28.05.2013 को स्वीकृत किया जाकर दिनांक 08.06.2013 को राशि दी गई। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में 1. चल सम्पतिः दृष्टि बंधक सम्पति जिसमें सभी प्रकार के केमिकल स्टॉक 2. अचल सम्पति **(1) सोनू सिंघल पुत्र श्री मदनलाल सिंघल का आवासीय भूखण्ड संख्या 61, सी ब्लाक, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 750 वर्गफुट (2) अनिल कुमार सिंघल पुत्र श्री मदनलाल सिंघल का आवासीय भूखण्ड किला न0 20 मु0न0 14/15 सुखाड़िया नगर, सेक्टर–3, चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 158.65 वर्गमीटर (3) श्रीगंगानगर गम एण्ड केमिकल प्राईवेट लि0, डायरेक्टर श्रीमदन लाल सिंघल पुत्र श्री गंगाजल दास सिंघल का औद्योगिक भूखण्ड सं0 बी–359 जो इण्डस्ट्रीयल ऐरिया–द्वितीय, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 3186.50 वर्गमीटर** को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 14.10.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी की ओर दिनांक 30.11.2016 तक ऋण राशि 3,07,86,962.88 रूपये एवंम इसके आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे अतिरिक्त है। इस राशि को जमा करवाने बाबत अप्रार्थीयान ऋणी/जमानतदारो को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस दिनांक 22.12.2016 को जारी किये गये। अचल सम्पति के कब्जे के नोटिस का भी प्रकाशन सीमा सन्देश व राजस्थान पत्रिका दिनांक 21.03.17 को करवाया जा चुका है। दिनांक 26.12.2016 को नोटिस

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
42/2017 श्रीगंगानगर
A3/2

प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी/जमानतदारो द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी/जमानतदारो द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति 1. चल सम्पतिः दृष्टि बंधक सम्पति जिसमें सभी प्रकार के केमिकल स्टॉक 2. अचल सम्पति (1) सोनू सिंघल पुत्र श्री मदनलाल सिंघल का आवासीय भूखण्ड संख्या 61, सी ब्लाक, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 750 वर्गफुट (2) अनिल कुमार सिंघल पुत्र श्री मदनलाल सिंघल का आवासीय भूखण्ड किला न0 20 मु0न0 14/15 सुखाड़िया नगर, सेक्टर–3, चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 158.65 वर्गमीटर (3) श्रीगंगानगर गम एण्ड केमिकल प्राईवेट लि0, डायरेक्टर श्रीमदन लाल सिंघल पुत्र श्री गंगाजल दास सिंघल का औद्योगिक भूखण्ड सं0 बी–359 जो इण्डस्ट्रीयल ऐरिया–द्वितीय, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 3186.50 वर्गमीटर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 3,50,00,000/–रूपये (अखरे तीन करोड़ पचास लाख मात्र) ऋण दिनांक 28.05.2013 को स्वीकृत किया जाकर दिनांक 08.06.2013 को ऋण राशि का भुगतान किया गया। जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी ऋणी/जमनतदारो द्वारा अपनी चल व अचल सम्पति 1. चल सम्पतिः दृष्टि बंधक सम्पति जिसमें सभी प्रकार के केमिकल स्टॉक 2. अचल सम्पति (1) सोनू सिंघल पुत्र श्री मदनलाल सिंघल का आवासीय भूखण्ड संख्या 61, सी ब्लाक, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 750 वर्गफुट (2) अनिल कुमार सिंघल पुत्र श्री मदनलाल सिंघल का आवासीय भूखण्ड किला न0 20 मु0न0 14/15 सुखाड़िया नगर, सेक्टर–3, चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 158.65 वर्गमीटर (3) श्रीगंगानगर गम एण्ड केमिकल प्राईवेट लि0, डायरेक्टर श्रीमदन लाल सिंघल पुत्र श्री गंगाजल दास सिंघल का औद्योगिक भूखण्ड सं0 बी–359 जो इण्डस्ट्रीयल ऐरिया–द्वितीय, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 3186.50 वर्गमीटर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 01.05.17 के अनुसार अप्रार्थी ऋणी/जमानतदारो को बैंक द्वारा दिनांक 22.12.2016 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये गये और उक्त नोटिसो के सन्दर्भ में ऋणी मदनलाल सिंघल जो कि कम्पनी का डायरेक्टर है ने अपना जबाब/अभ्यावेदन दिनांक 07.02.17, जमानतदार अनिल कुमार ने अपना जबाब/अभ्यावेदन दिनांक 08.02.17 व 18.02.17 व जमानतदार सोनू सिंघल ने अपना जबाब/अभ्यावेदन दिनांक 18.02.17 एवं जमानतदार अनिता सिंघल ने अपना जबाब/अभ्यावेदन दिनांक 17.02.17 प्रस्तुत किये है जिसके अनुसार धारा 13 (2) के नोटिस उनको प्राप्त हो चुके है और उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त जबाब/अभ्यावेदनो पर सक्षम बैंक अधिकारी द्वारा विचार कर उनके द्वारा दिनांक 18.02.2017 द्वारा श्रीगंगानगर गम एण्ड केमिकल प्राईवेट लि0 को सूचित किया जा चुका है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उक्त विवादास्पद सम्पति जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह सम्पति निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है और धारा 13(2) के नोटिसो की तामील भी उक्त विवेचनानुसार ऋणी/जमानतदारो पर हो चुकी है और उक्तानुसार ऋणी व जमानतदारो द्वारा प्रस्तुत जबाब/अभ्यावेदनो पर भी प्रार्थी **बैंक के संबंधित बैंक प्राधिकारी द्वारा विचार कर निर्णय किया जाकर दिनांक 18.02.17 को श्रीगंगानगर गम एण्ड केमिकल प्राईवेट लि0 को सूचित किया जा चुका है।** किन्तु इसके बावजूद भी ऋणी/जमानतदारो द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि का भुगतान नही किया गया है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणी/जमानतदारो द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त सम्पतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी यूको बैंक शाखा हिरनावाली का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी/जमानतदारो द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी चल व अचल सम्पति 1. चल सम्पतिः दृष्टि बंधक सम्पति जिसमें सभी प्रकार के केमिकल स्टॉक 2. अचल सम्पति (1) सोनू सिंघल पुत्र श्री मदनलाल सिंघल का आवासीय भूखण्ड संख्या 61, सी ब्लाक, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 750 वर्गफुट (2) अनिल कुमार सिंघल पुत्र श्री मदनलाल सिंघल का आवासीय भूखण्ड किला न0 20 मु0न0 14/15 सुखाड़िया नगर, सेक्टर–3, चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 158.65 वर्गमीटर (3) श्रीगंगानगर गम एण्ड केमिकल प्राईवेट लि0, डायरेक्टर श्रीमदन लाल सिंघल पुत्र श्री गंगाजल दास सिंघल का औद्योगिक भूखण्ड सं0 बी–359 जो इण्डस्ट्रीयल ऐरिया– द्वितीय, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 3186.50 वर्गमीटर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पतियों का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1482-83
13/07/17

यह आदेश आज दिनांक 11–07–2017 को मेर द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर